न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 80/2018 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1. श्री बंशीलाल आत्मज श्री गोकल दरोगा निवासी बराठिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती संता कंवर पत्नी स्व. श्री औंकार सिंह राजपुत निवासी हरणीखुर्द तह व जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती कीका कंवर पत्नी श्री श्रवण सिंह राजपुत निवासी हरणीखुर्द तह व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड शाखा हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा**
अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व 4 अनुपस्थित
पेरोकार सरकार...................विपक्षी क्रम 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04/02/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 21–08–2018 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम बंराठीया पटवार हल्का स्वरूपगंज तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारी की कृषि आराजी संख्या 28/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 30/3 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 31/3 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है।

प्रार्थी की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता जो बंराठिया से स्वरूपगंज नदी के किनारे होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 26/1,26,25 की मेड से होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 28/1,30/1,31/3 में आते–जाते है जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी,संज, ट्रेक्टर आदि अपने पूर्वजों के समय से लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रा0पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है।

प्रार्थी की उक्त आराजियात में आने [illegible] का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है व विपक्षीगण की नियत में फितुर पेदा होने [illegible] को हडप करने की गरज से आये दिन रास्ते अवरोध [illegible] जबकि विपक्षीगण [illegible] करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक [illegible] अगस्त 2018 को रा[illegible] अवरोध पेदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तोर से इन्कार हो गये व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

रास्ता को बन्द करने की धमकी दी इसके पश्चात् जे.सी.बी से गढा भी खोद दिया। उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड(नक्शा) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमाई जाकर नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड(नक्शे) में दर्ज करने हेतु यह प्रा.पत्र पेश किया जा रहा है। साथ ही विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे की उक्त रास्ते अवरोध पेदा नही करें।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम बराठीया पटवार हल्का स्वरूपगंज भू.अभिलेख निरक्षक खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 28/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 30/3 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 31/3 रकबा 10 बिस्वा में आने–जाने का एकमात्र रास्ता जो बराठीया से स्वरूपगंज नदी के किनारे होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 26/1,26,25 की मेड से होकर होते हुये प्रार्थी की प्रा0पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आता–जाता है को रास्ते से 15 फिट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 21.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01,02,04 विधिवत सूचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई दिनांक 04.02.2021 पर अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु गैर हाजिर रहने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 01,02,04 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्रांक/राजस्व/2021/48 दिनांक 13.01.2021 से मौका रिपोर्ट भिजवाई गई जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी स्वरूपगंज द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बराठिया में स्थित आराजी नम्बर 25 मे से रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है।इस संबधं में राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिध्रति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट का भी भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी [illegible] आ.नं. 28/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 30/3 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 31/3 रकबा 10 बिस्वा में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 26 [illegible] ण के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:35:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम बराठीया तह हमीरगढ में स्थित आराजी संख्या 28/1 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 30/3 रकबा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 31/3 रकबा 10 बिस्वा में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 25 मे से आवागमन हेतु प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु 15 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। खर्चा फरकीन अपना–अपना वहन करें। आदेश की की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 04–02–2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:35:55 IST
Reason: SelfAttested